राजस्थान सरकार

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

कमांकः–निदे / चिकि.एवं स्वा / एमएनडीवाई / सीएसआर–2022 / 2023 / 940 दिनांकः 29/09/2023

::आदेश::

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत मशीन विद मैन संविदा कर्मियो को सीएसआर–2022 में लिये जाने हेतु जिलो से प्राप्तं प्रस्तावो की स्कीनिंग राज्य स्तर पर की जानी है, इस हेतु जिलो से प्राप्त प्रस्तावो को अन्तिम रूप से स्कीनिग करवाये जाने हेतु निम्नानुसार समिति–I का गठन किया जाता हैः–

क.स.	अधिकारी / कर्मचारी	पद	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा	अति0 निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य	अध्यक्ष
2.	डॉ0 रामबाबू जायसवाल	नोडल अधिकारी एमएनएनआरवाई (दवा)	सदस्य
3.	श्री कैलाश सहायक मीना	लेखाधिकारी	सदस्य
4.	श्री गजेन्द्र चौधरी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
5.	श्री शिम्भू दयाल कोली	सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
6.	श्री रामस्वरूप शर्मा	फार्मासिस्ट	सदस्य
7	श्री अशोक कुमार भण्डारी	संस्थापन अधिकारी	सदस्य
8.	श्री राम सिंह शेखावत	वरिष्ठ सहायक	सदस्य

उक्त समिति दिनांक 01.10.2023 एवं 3.10.2023 तक निदेशक (जन स्वा0) सभागार कक्ष में प्रातः 9.30 बजे पॉच संभाग बीकानेर, अजमेर, पाली, सीकर एवं बांसवाडा से प्राप्त प्रस्तावो का अन्तिम रूप से परीक्षण करेगी। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के उपस्थित नही होने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी संबंधित अनुभाग अन्य को नियुक्त करेगे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

कमांकः–निदे / चिकि.एवं स्वा / एमएनडीवाई / सीएसआर–2022 / 2023 / 940 दिनांकः 29/09/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1.निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर।
2.निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर।
3.संबंधित अधिकारी / कर्मचारियो को पालनार्थ।
4.रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :29-09-2023 06:59:33

RajKaj Ref No. : 4816362

2022.04.09 09:13

राजस्थान सरकार
निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

कमांकः–निदे/चिकि.एवं स्वा/एमएनडीवाई/सीएसआर–2022/2023/941 दिनांकः 29/09/2023

::आदेश::

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत मशीन विद मैन संविदा कर्मियो को सीएसआर–2022 में लिये जाने हेतु जिलो से प्राप्तं प्रस्तावो की स्कीनिग राज्य स्तर पर की जानी है, इस हेतु जिलो से प्राप्त प्रस्तावो को अन्तिम रूप से स्कीनिग करवाये जाने हेतु निम्नानुसार समिति–II का गठन किया जाता हैः–

क.सं.	अधिकारी/कर्मचारी	पद	अध्यक्ष/सदस्य
1.	डॉ0 एस0के0 परमार	अति0 निदेशक अस्पताल एवं प्रशासन	अध्यक्ष
2.	डॉ0 केसरी सिह	परियोजना निदेशक एमएनजेवाई	सदस्य
3.	श्री मदन लाल खटीक	वरिष्ठलेखाधिकारी,	सदस्य
4	श्री अमित चौधरी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
5.	श्री संजय कुमार गोयल	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
6.	श्री विजेन्द्र मीणा	फार्मासिस्ट	सदस्य
7.	श्री जितेन्द्र	सूचना सहायक	सदस्य
8.	श्री मौसिम खान	वरिष्ठ सहायक	सदस्य

उक्त समिति दिनांक 01.10.2023 एवं 03.10.2023 तक निदेशक (जन स्वा0) सभागार कक्ष में प्रातः 9.30 बजे पॉच संभाग यथाः–जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर से प्राप्त प्रस्तावो का अन्तिम रूप से परीक्षण करेगी। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के उपस्थित नही होने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी संबंधित अनुभाग अन्य को नियुक्त करेगे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

कमांकः–निदे/चिकि.एवं स्वा/एमएनडीवाई/सीएसआर–2022/2023/941 दिनांकः 29/09/2023
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1.निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर।
2.निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर।
3.संबंधित अधिकारी/कर्मचारियो को पालनार्थ।
4.रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :29-09-2023 06:59:06

RajKaj Ref No. : 4816367

2022.04.09 09:13

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–निदे/चि..एवं स्वा/मुमंनिनिरायो/म.वि.मैन./2023/939 दिनांकः 29/09/2023

–ःआदेशः–

निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/चि..एवं स्वा/मुमंनिनिरायो/म.वि.मैन./2023/934 दिनांक 27.9.2023 द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत मशीन विद मैन को राजस्थान कॉन्ट्राक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावो की स्कीनिग करने हेतु निदेशक (जन स्वा) सभागार में दिनाकं 29.09.2023 को डयूटी लगाई गई थी।

उक्त कार्य हेतु नियुक्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो में अधिकांश अनुपस्थित रहे है, जिससे कार्य सम्पादिन नही हो सकता है, इस संबंध में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे एवं पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.10.2023 एवं 03.10.2023 तक उक्त सभागार कक्ष में उपस्थित होकर कार्य निष्पादित करे।

संलग्न– उक्त आदेश की प्रति।

(डॉ0 आर0पी0 माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–निदे/चि..एवं स्वा/मुमंनिनिरायो/म.वि.मैन./2023/939 दिनांकः 29/09/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राज0 जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ संबंधित जोन।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वासयि अधिकारी समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग मुख्यालय।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :29-09-2023 06:57:42

RajKaj Ref No. : 4816627

2022.04.09 09:13

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–निदे/चिकि.एवं स्वा/म.वि.मैन/2023/938 दिनांक 29/09/2023

::आदेश::

निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/चिकि.एवं स्वा/म.वि.मैन/2023/932 दिनांक 29.9.2023 द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत मशीन विद मैन संविदा कर्मियो को सीएसआर–2022 में लिये जाने हेतु दिनांक 29.9.2023 को निदेशालय में प्रस्तावो की स्क्रीनिग करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियो अधिकारियो की कार्यशाला आयोजित की गई थी।

उक्त कार्यशाला में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियो को संविदा रूल्स 2022 में लिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये जिनमें से अधिकांश प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप नही होने के कारण लौटा दिये गये है तथा कुछ जिलो से उक्त अधिकारी अपरिहार्य कारणो से उपस्थित नही हो सके है।
योजनान्तर्गत संविदा के रूप में पूर्व से नियोजित मशीन विद मैन को सीएसआर–2022 में शामिल करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत करवाया जाना है, अतः उक्त संविदा कर्मियो को संविदा रूल्स में लिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दिनांक 30.9.2023 को अपूर्ण एवं आक्षेपित प्रस्तावो को स्वीकृति में वर्णित शर्तो के अनुसार तैयार कर द्वितीय जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवायेगे।

2.द्वितीय जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित किये गये प्रस्तावो को संयुक्त निदेशक, स्तर पर गठित समिति से दिनांक 01.10.2023 को अनुमोदित करवायेगे। दिनांक 2.10.2023 को इन प्रस्तावो को राज्य स्तर पर निदेशालय के निदेशक (जन स्वा0)सभागार कक्ष में 9.30 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियो द्वारा स्क्रीनिग हेतु प्रस्तुत किये जायेगे। उक्त हेतु राजपत्रित अवकाश दिनांक 30.09.2023, एवं 01.10.2023 को समस्त कार्यालय खोले जावेगे।

दिनांक 29.9.2023 को राज्य स्तर पर संविदा रूल्स 2022 में मशीन विद मैन को लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावो का परीक्षण किया गया, जिसमें अधिकाश प्रस्ताव वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप नही पाये गये, जिससे अधिकाश प्रस्ताव लौटा दिये गये है, इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि समितियो के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति में वर्णित शर्तो के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत किये जावे, यदि स्वीकृति में वर्णित शर्तो के अनुरूप प्रस्ताव नही प्रस्तुत नही किये गये तो संबंधित अधिकारियो एवं कर्मचारियो के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम 1958 (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ::–

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3.निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर।
4.संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन समस्त।
5.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त।
6.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल समस्त।
7.जिला परियोजना एवं समन्वयक जिला औषधी भण्डार समस्त।
8.रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <[illegible]272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :29-09-2023 07:00:50

RajKaj Ref No. : 4816274

2022.04.09 09:13